E-mail

123

249

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक BR/ LR/ NLRMP/ F-126/ Part-2/ 11433-465 दिनांक:– 21/09/2015

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय :– राज्य के सभी जिलों की सभी तहसीलों में सेग्रिगेशन कार्य करवाए जाने हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

एनआईसी, जयपुर द्वारा तैयार किया गया नवीन सॉफ्टवेयर "ई–धरती" के तहत आपके जिले की सभी तहसीलो में सेग्रिगेशन का कार्य करवाया जाना है। इस संबंध में निम्न प्रकार कार्यवाही करावे :–

सामान्य निर्देश :–

1. सभी 314 तहसीलों में जमाबन्दी सेग्रिगेशन का कार्य अक्टूबर माह से प्रारम्भ किया जाना है जिसके लिए राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से वित्त विभाग की दरों एवं शर्तो पर एजेन्सी के माध्यम से लिपिक ग्रेड– II के रिक्त पदों (जिनके विरूद्ध कोई सेवानिवृत अथवा मशीन विद कार्यरत नही हैं) की सीमा तक प्रति तहसील 2 मशीन विथ मैन की सेवाऐं जब से कार्य प्रारम्भ किया जावे तब से 6 माह तक हायर की जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय जारी किए जाने हेतु राज्य सरकार को लिखा जा रहा है।

2. डाटा सेग्रिगेशन हेतु प्रशिक्षण जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से करवाया जाएगा। आवश्यक होने पर तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

3. **जिला कलक्टर द्वारा स्थानीय सुविधाओं के अनुसार कार्य हेतु समुचित व्यवस्था की जा सकेगी**। वर्क स्टेशन पर आवश्यक स्थान, बिजली इत्यादि की व्यवस्था जिला कलक्टर द्वारा की जाएगी।डाटा सेग्रिगेशन कार्य का जिला कलक्टर (भू0अ0) द्वारा प्रोग्राम तहसीलवार तैयार किया जाएगा।संबंधित पटवारी तथा भू0अ0 निरीक्षक को समय पर उपस्थित हो कर कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी। 3–4 आपरेटरों पर एक भू0अ0निरीक्षक नियमित रूप से वर्कस्टेशन पर कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे।

4. डाटा सेग्रिगेशन का कार्य प्राथमिकता के तौर पर करवाए जाने हेतु नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी द्वारा निरन्तर मानिटरिंग की जाएगी तथा प्रगति की पाक्षिक सूचना संभागीय आयुक्त, भू–प्रबंध आयुक्त व राजस्व मण्डल में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. सेग्रिगेशन कार्य के दौरान यदि किसी जगह जमाबन्दी प्रिन्ट करने की समस्या हो तो मण्डल द्वारा पूर्व में जिला स्तर पर उपलब्ध करवाए गए हाई स्पीड प्रिन्टर का उपयोग किया जाएगा अथवा प्रत्येक तहसील में उपलब्ध करवाए गए लिपि प्रिन्टर को उपयोग किया जा सकेगा।

6. इस संबंध में शासन सचिव, राजस्व महोदय द्वारा दिनांक 30.06.2015 को जारी निर्देशानुसार भी कार्यवाही की जाएगी। **(परिशिष्ट–1 पर संलग्न)**

7. सेग्रिगेशन कार्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर मो09928320600 से सम्पर्क कर समाधान किया जा सकता है।

सेग्रिगेशन हेतु प्रकियात्मक निर्देश :–

1. सेग्रिगेशन कार्य हेतु NIC द्वारा सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की सहायता से अपना खाता केन्द्र के कम्प्यूटर पर ऑफलाइन मोड में स्थापित किया जायेगा।

2. ऐसे सभी गांव जो, पी–21 सी माड्यूल में कियान्वित नही है, की आदिनांक जमाबन्दी (मध्यवर्ती जमाबन्दी) गांव का सेग्रिगेशन कार्य करवाने की दिनांक से एक दिन पहले तक के सभी नामान्तरकरणों को अमल (समावेशित) कर आदिनांक कीजाएगी। (जिस प्रकार चौसाला जमाबन्दी तैयार करते समय कार्यवाही की जाती है उसी प्रकार कार्यवाही की जानी है)

3. ऐसे गांव जो पी–21सी माड्यूल में कियान्वित है अर्थात जो तहसीले अधिसूचित है तथा जिनमें पैरीनियल जमाबन्दी संधारित हो रही है, के लिये सीधे ही "काश्तकार का विवरण विभाजित माड्यूल" की सहायता से काश्तकार की विशिष्टियों का वर्गीकरण किया जायेगा। पटवारी द्वारा जिसकी जांच ऑनलाइन की जा करआवश्यक संशोधन करवाए जाएंगे। प्रथम बार ऑनलाइन जांच कर संशोधन करवाने के बाद जमाबन्दी प्रिन्ट की जाएगी। तैयार की गई जमाबन्दी को पटवारी द्वारा मौके पर पढ़कर सुनाया जाएगा तथा नियमानुसार संशोधन करवाए जाऐंगे।

4. इस प्रकार तैयार की गई जमाबन्दी लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के नियम 158 के प्रावधानों के अनुसार भू0अ0निरीक्षक द्वारा शत प्रतिशत खातों की जांच की जानी है तथा नियम 158 के तहत निर्धारित मानदण्ड के अनुसार तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा 25 प्रतिशत खातों की जांच की जा कर प्रमाणित की जाएगी।

5. समस्त संशोधनों के उपरान्त जमाबन्दी की प्रति में प्रपत्र प–28 (अन्तिम प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र) लगाकर अन्तिम प्रमाणीकरण किया जाएगा। जिसकी एक परत पटवारी को व एक परत तहसील कार्यालय में जमा की जायेगी।

6. तहसील के समस्त गांवों के अन्तिम प्रमाणीकरण के पश्चात जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की सहायता से उक्त डेटा सेन्ट्रल सरवर पर प्रतिस्थापित किया जायेगा जिससे समस्त डाटा सेन्ट्रल सरवर पर संधारित किया जाएगा तथा तहसीलों में ऑनलाइन कार्य किया जाएगा।

7. इस प्रकार तैयार की गई जमाबन्दियों को तहसीलदार द्वारा डिजीटल हस्ताक्षरित किया जाएगा।

8. नवीन सेग्रिगेटेड जमाबन्दी तैयार करने के दौरान दर्ज किए गए समस्त नामान्तरकरण को अमल किया जाने के बाद ही पटवारी द्वारा फील्ड में नवीन जमाबन्दी के साथ कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

9. सॉफ्टवेयर द्वारा अपवादित खातों की लिस्ट जनरेट करने के बाद पटवारी, भू0अ0निरीक्षक, तहसीलदार तथा उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा कर प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा।

10. इस प्रकार समस्त तहसील हेतु जमाबन्दी तैयार किए जाने व प्रमाणीकरण के तुरन्त पश्चात लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के अध्याय 6 के तहत नियम 169 के अनुसार अधिसूचित किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर मण्डल में भिजवाए जाऐगें।

11. अनधिसूचित तहसीलों में उक्त प्रकिया पूर्ण हो कर तहसील अधिसूचित होने तक भू–अभि0 संधारण की सम्पूर्ण प्रकिया लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के प्रावधानों के तहत पूर्ववत रहेगी। अधिसूचित तहसीलों भू–अभिलेख संधारण की सम्पूर्ण प्रकिया लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के अध्याय 6 के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

भवदीय,

(सी0आर0मीना)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक :– राम/सम/ 11466–468 दिनांक :– 21/9/2015

1. नोड़ल अधिकारी, आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, सचिवालय जयपुर।
3. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर ।

(सी0आर0मीना)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर